राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)
क्रमांक: एफ 8 ( )/WD&SC/MIES/2014/ 5936-6054 दिनांक 17-9-14

परिपत्र

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत राज्य की 215 पंचायत समितियों में 884 जलग्रहण परियोजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रवेश बिन्दु गतिविधि, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन (एनआरएम), उत्पादन एवं लघु उद्यमिता, उत्पादन आदि घटकों के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य, अग्रिम मृदा कार्य, पौधारोपण कार्य, फसल प्रदर्शन आदि कार्य सम्पादित करवाये जा रहे है। इन सभी कार्यों के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में वर्षा जल संचयन, भू जल संवर्द्धन, मृदा अपरदन को रोकने, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने एवं स्थानीय निवासियों को जीविकोपार्जन के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाते हुए इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

उक्त महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ती हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि विभागीय कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता परियोजना क्षेत्र में निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार कार्यों हेतु उपयुक्त साईट का चयन, कार्यों हेतु तकनीकी ले आऊट देना, कार्य के सम्पादन के समय आवश्यक निरीक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य पूर्ण निष्ठा से सम्पादित करे।

कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा परियोजना क्षेत्र में सम्पादित किये जा रहे निर्माण कार्यों, अग्रिम मृदा कार्य, चारागाह एवं वृक्षारोपण आदि महत्वपूर्ण कार्यों का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। कुछ प्रकरणों में कार्य सम्पादन के लिए साईट चयन एवं ले आऊट जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का भी समय पर सम्पादन नहीं किया जा रहा है जबकि निर्माण कार्यों के आशानुकूल परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य एवं तकनीकी रूप से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा कार्यालय आदेश कमांक एफ. ( )निजभूस/संस्था/राप/13–14/970–1481 दिनांक 15.01.2014 के माध्यम से विभागीय तकनीकी अधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ–साथ आदेश कमांक 6240–6640 दिनांक 28.01.2013 के माध्यम से कार्यों के निरीक्षण हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये है।

प्रत्येक परियोजनावार इसका रिकार्ड संधारण पी.आई.ए. स्तर पर करें एवं इसकी प्रति परियोजना प्रबंधक को प्रेषित की जावे। प्रत्येक माह परियोजना प्रबंधक के स्तर से जिले की इकजाई सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराई जावे। इसे और अधिक कियाशील बनाने के लिये इन बिन्दुओं को त्रिस्तरीय मोनिटरिंग सिस्टम की बैठक में जोडते हुये तीनों स्तरों पर चर्चा की जावे।

निदेशालय स्तर से सभी जिला प्रभारी परियोजना क्षेत्र में भ्रमण के समय इसकी समीक्षा करें तथा अपने सुझाव निरीक्षण पंजिका में अंकित करें। निदेशालय स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में इस बिन्दु पर नियमित चर्चा की जावेगी तथा समीक्षा बैठक में इस बिन्दु को स्थायी एजेण्डे के रूप में रखा जावेगा।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी विभागीय अभियन्तागण निरीक्षण एवं तकनीकी कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में जारी विभागीय आदेशों की शत प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करे, ताकि परियोजना के उद्देश्यों की आशानुरूप पूर्ती की जा सके।

16.9.14
(एम.एस.काला)
निदेशक

क्रमांकः एफ 8 ( )/WD&SC/MIES/2014/ 5936-6054 दिनांक 17-9-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर।
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर ।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, निदेशालय, जयपुर ।
10. समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को आपके अधीन सभी फील्ड अधिकारियों को उपलब्ध करवा कर अनुपालना सुनिश्चित करावें।
11. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

16.9.14
निदेशक